<u>अति तत्काल</u>
<u>आर टी आई मामला</u>

सं. 14036/545/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 30.08.2013

सेवा में

श्री कन्हैया कुमार राय,
पुरानी चन्द्रावल, मजनूँ का टिला,
सिविल लाइन्स, दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 20.08.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 27.08.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन की विषय-वस्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत यथा परिभाषित 'सूचना' की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। तथापि, आपकी शिकायत को इस मंत्रालय के दिनांक 5.6.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित कर दिया गया है तथा, इसलिए, आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)

Issued with encl.
2164
6/9.

प्रतिलिपि :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।